राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कानाराम बनाम मोतीनाथ 19/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 17/04/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
17/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17/03/2016 पारित करते हुये वादी का वाद निरस्त फरमा दिया गया एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम बाबत कोई आदेश पारित नही किया गया | जिससे व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17/03/2016 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील संख्या 600/2016 प्रस्तुत की गयी | जिस पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 19/07/2018 पारित करते हुये अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17/03/2016 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्वयं मौका निरीक्षण कर पुन: गुणावगुण पर वादी के वाद एवं प्रतिवादी के काउन्टर वाद पर निर्णय पारित किया जावे | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी कानाराम द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह रिव्यु प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस प्रार्थना पत्र रिव्यु पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय रिव्युअधीन निर्णय का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये निर्णय दिनांक 19/07/2018 पारित किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिव्यु के माध्यम से प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे की रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता हो | ऐसी स्थिति में रिव्युअधीन निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझा जाता है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिव्यु अस्वीकार कर ख़ारिज किया जाता है | प्रार्थना पत्र रिव्यु फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | आदेश आज दिनांक 17/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	